



दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मुख्य योजना-2041 (दि.मु.यो.-2041) के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए 09.06.2021 को पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी। केंद्र सरकार ने आपत्तियां/सुझाव दर्ज करने की अवधि तीस (30) दिन तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट दिल्ली मुख्य योजना-2041 के संबंध में आपत्तियां/सुझाव 23 अगस्त, 2021 तक दर्ज किए जा सकते हैं।

ड्राफ्ट दि.मु.यो.-2041 के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देने हैं तो वे वेब पोर्टल <http://online.dda.org.in/MPD2041> के माध्यम से या आयुक्त-एवं-सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर भेज सकते हैं। आपत्ति या सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नंबर/ई-मेल आईडी भी दें जो पठनीय हो।

हस्ता/-

फाइल सं.: एफ. 18(15)/2021-एमपी (डी. सरकार)

दिनांक: 24.07.2021

आयुक्त-एवं-सचिव,

स्थान: नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया  Google play के **DDA** ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।